सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2024 / 298 दर्ज तिथिः—12.07.2024

1. लक्ष्मणराम पुत्र ईशराराम
2. इन्दुदेवी पत्नी ईशराराम
3. उकाराम पुत्र ईशराराम
4. कानाराम पुत्र हराराम
5. दलाराम पुत्र भेराराम
   जाति कलबी निवासी प्रतापगढ तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....वादीगण

बनाम

1. सहायक अभियंता सा0नि0वि0 खण्ड गुड़ामालानी
2. तहसीलदार, गुड़ामालानी

..... प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री मुकेश सियाग
प्रतिवादीगणः—एकतरफा

वादपत्र अन्तर्गत धारा—188
राज0 काश्त0 अधि0—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—29.09.2025

1. आज यह पत्रावली राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा—188 के अन्तर्गत एक राजस्व वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 124 / 1.8373 है0 मौजा प्रतापगढ तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित हैं। वादी की उक्त खातेदारी भूमि पर रहवास बनी हुई है तथा चारो तरफ पुरानी माठ बनी हुई है। वादी की उक्त खातेदारी आराजी के पूर्वी की तरफ खसरा संख्या 168 / 1 वक्त सेटलमेंट का कट्टाण मार्ग आया हुआ है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा खसरा संख्या 200 के खातेदार के प्रभाव में आकर वादीगण की खातेदारी आराजी में चार मोड़ लेते हुए उक्त रास्ते में घुमाव डालकर वादीगण की माठों को तोड़ते हुए बिना नाप के कट्टाण मार्ग से हटकर वादी की खातेदारी आराजी में सड़क निर्माण कार्य कर कब्जा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 16:57:40 IST
Reason: SelfAttested

करने पर आमादा हैं। प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी भूमि पर अपना अनाधिकृत कब्जा वादी के कब्जा काश्त की भूमि को कट्टाण मार्ग की भूमि बताकर अवैध कब्जा करना चाहते है तथा वादी की खातेदारी भूमि पर निर्माण कार्य करने पर आमादा है। यदि प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण वादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी की सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। अंत में वादीगण ने वादीगण की खातेदारी आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री करने का निवेदन किया।

2. दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा बाद विधिवत तामिल उपस्थित न्यायालय होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त सड़क निर्माण के दौरान मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न होने के कारण राजस्व टीम मय पुलिस जाब्ता की उपस्थिति में सीमाज्ञान करवाया गया। उक्त राजस्व टीम द्वारा किये गये सीमाज्ञान अनुसार ही मौके पर अवस्थित रास्ते पर सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है। अतः वादी का उक्त वाद काबिल—ए—खारिज है।

3. प्रकरण में निम्न प्रकार तनकीयात कायम किये गयेः—

   1. आया वादीगण अपनी खातेदारी आराजी पर कटान रास्ते से हटकर गलत रूप से सडक निर्माण करने से रोकने हेतु विरूद्ध प्रतिवादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।
   .....वादी
   2. आया प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व कार्मिकों के द्वारा सीमाज्ञान के पश्चात ही निर्माण कार्य किए जाने तथा वादी द्वारा कटान मार्ग से होकर सडक निर्माण के कार्य को रोकने के प्रयासों को स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष के माध्यम से गलत रूप से प्रस्तुत करने के आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण नहीं बनने के कारण दावा वादी काबिल—ए—खारिज है।
   .....प्रतिवादी
   3. अन्य दादरसी
   .....उभय—पक्षकारान

4. तत्पश्चात् पत्रावली वादी साक्ष्य में नियत की गई। वादी द्वारा प्रकरण में निम्न दस्तावेजी साक्ष्य व प्रदर्श प्रस्तुत किए गएः—

प्रदर्श	दस्तावेज	दिनांक / सम्वंत
1.	खाता संख्या 05 जमाबंदी वाके ग्राम प्रतापगढ तहसील गुड़ामालानी	अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2074—77
2.	नक्शा खसरा संख्या 124 मौजा प्रतापगढ	वर्तमान
3.	परिशिष्ट—अ	—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 16:57:40 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रकरण में वादीगण द्वारा निम्न गवाह साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिनकी चीफ करवाकर बयान लेखबद्ध किए जाकर शामिल पत्रावली किए गएः—

क्र.स.	नाम मय वल्दीयत	निवासी
पी.डब्ल्यू.—1	लक्ष्मणाराम पुत्र ईशराराम जाति कलबी	ग्राम प्रतापगढ तहसील गुड़ामालानी
पी.डब्ल्यू.—2	उम्मेदसिंह पुत्र सुल्तानसिंह जाति राजपूत	ग्राम चकगुड़ा तहसील गुड़ामालानी
पी.डब्ल्यू.—3	रावताराम पुत्र सुरताराम जाति विश्नोई	ग्राम चकगुड़ा तहसील गुड़ामालानी

6. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 731 दिनांक 09.05.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत किया। उक्त तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 731 दिनांक 09.05.2025 द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का उद्धरण निम्नानुसार हैः—

1. *कि ग्राम प्रतापगढ में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कटाण रास्ता संख्या संख्या 168 / 1 में डामर सड़क बनाने का कार्य प्रक्रियाधीन है। जो वर्तमान में खसरा संख्या 124 व 200 के खातेदारों द्वारा मौके पर विवाद होने से डामर सड़क कार्य भी रोका हुआ है।*
2. *कि खसरा संख्या 124 ग्राम लूंबावास की सीमा पर अवस्थित है। दोनों ग्रामों की सीमा पर भूमि अधिक है। रिकॉर्ड अनुसार खसरा संख्या 124 का रकबा 1.8373 है0 है। जबकि मौके पर कब्जा 3.18 है0 पर है। प्रार्थी के कब्जे में रिकॉर्ड से 1.3427 है0 भूमि ज्यादा पर कब्जा है।*
3. *कि प्रतिवादी खसरा संख्या 200 व संयुक्त खातेदारी खसरा संख्या 199 / 1 ग्राम जूड़ी की सीमा पर स्थित होने से मौके पर ऑवरलेप है। प्रतिवादी के खसरा संख्या 200, 199 / 1 का रिकॉर्ड अनुसार रकबा 12.8690 है0 है, जबकि मौके पर कब्जा काश्त रकबा 8.69 है0 ही है।*
4. *कि ग्राम प्रतापगढ के खसरा संख्या 124 ग्राम लूंबावास की सीमा पर व खसरा संख्या 200, 199 / 1 ग्राम जूड़ी की सीमा पर स्थित होने से मौके पर भूमि अधिक व कम होने से विवाद है। जहां रिकॉर्ड अनुसार मुस्तकिल बिंदु कायम नहीं होने से कटाण मौके पर वर्तमान में चल रहे रास्ते पर ही डामर सड़क का निर्माण किया जा रहा था तथा मौका खसरा संख्या 124 भूमि कब्जा अधिक होने से रास्ते को चौड़ा करने के लिये कब्जा बाड़ खसरा संख्या 124 की हटाई गई थी। जहां पर प्रार्थी खसरा संख्या 124 द्वारा विरोध करने पर वर्तमान में सड़क कार्य रोका हुआ है।*

7. प्रकरण में उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुए वादी की विवादित आराजी की सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादवर्णित अनुतोष मुताबिक स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री किया जावे। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वादी का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 16:57:40 IST
Reason: SelfAttested

8. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।प्रकरण में मुख्य अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

7. उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। वादी का यह कथन है कि उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर उसके उपयोग व उपभोग में व्यवधान किया जाता है या उस पर निर्माण किया जाता है तो वादीगण को स्पष्ट रूप से नापूर्ति होने वाली क्षति संभावित है। वादीगण का उक्त कथन स्वतः साबित है क्योंकि प्रतिवादी का मुताबिक रिकॉर्ड उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार होना साबित नहीं है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 16:57:40 IST
Reason: SelfAttested

8. उक्त प्रकार से स्पष्ट है कि उक्त खातेदारी आराजी वादीगण की निजी खातेदारी आराजी है तथा प्रतिवादीगण का उक्त वादीगण की खातेदारी आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई है:—

परिस्थिति	विवरण	विश्लेषण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 124/1.8373 है0 मौजा प्रतापगढ तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति को आंकलित करना संभव प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 124/1.8373 है0 मौजा प्रतापगढ तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
1.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 124/1.8373 है0 मौजा प्रतापगढ तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक मुआवजा दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 124/1.8373 है0 मौजा प्रतापगढ तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
2.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।	
3.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 124/1.8373 है0 मौजा प्रतापगढ तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर पर वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 16:57:40 IST
Reason: SelfAttested

	हेतु आवश्यक हो।	की निजी खातेदारी आराजी परखातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से रोकने का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाया गया है। 2. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 124/1.8373 है0 मौजा प्रतापगढ तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में बेदखली के अनेक वाद न्यायालय में दायर होते रहेगें। 3. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 124/1.8373 है0 मौजा प्रतापगढ तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में मुआवजे के वाद न्यायालय में दायर होते रहेगें। 4. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 124/1.8373 है0 मौजा प्रतापगढ तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में उभयपक्षकारों के मध्य फौजदारी के प्रकरण सामने आ सकते है। अतः विवादों की बहुलता उत्पन्न होने की प्रबल संभावना प्रतीत होती है।

9. इस प्रकार स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 124/1.8373 है0 मौजा प्रतापगढ तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर पर वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित होता है। वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 124/1.8373 है0 मौजा प्रतापगढ तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर पर वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित होने से सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में झुकाव रखता है। उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। साथ ही यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। साथ ही सार्वजनिक कट्टाण रास्ते पर सड़क निर्माण हेतु प्रतिवादी संख्या 01 विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए सड़क निर्माण कार्य कट्टाण मार्ग पर ही करवाना उचित प्रतीत होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु चार परिस्थितियां भी वादी की खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोकने हेतु आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न होना इंगित करती है। इस प्रकार अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 16:57:40 IST
Reason: SelfAttested

आदेश है कि

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 124/1.8373 है0 मौजा प्रतापगढ तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर पर विधिवत सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी के सीमांकन पश्चात प्रतिवादीगण को विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात फसल बोने—जोतने, काटने, लाने—ले जाने में रूकावट मजाहमत नहीं करने के साथ ही वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर वादीगण को बेदखल करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने और कृषि भूमि को अकृषि नहीं बनाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रतिवादी मौके पर चालू कदीमी रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज करने व निर्माण करने हेतु स्वतंत्र हैं।

उक्त निर्णयानुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 29.09.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 16:57:40 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2024 / 298 दर्ज तिथिः—12.07.2024

1. लक्ष्मणराम पुत्र ईशराराम
2. इन्दुदेवी पत्नी ईशराराम
3. उकाराम पुत्र ईशराराम
4. कानाराम पुत्र हराराम
5. दलाराम पुत्र भेराराम
   जाति कलबी निवासी प्रतापगढ तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....वादीगण

बनाम

1. सहायक अभियंता सा0नि0वि0 खण्ड गुड़ामालानी
2. तहसीलदार, गुड़ामालानी

..... प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री मुकेश सियाग
प्रतिवादीगणः—एकतरफा

वादपत्र अन्तर्गत धारा—188
राज0 काश्त0 अधि0—1955

—ःपर्चा डिक्रीः—

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 124/1.8373 है0 मौजा प्रतापगढ तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर पर विधिवत सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी के सीमांकन पश्चात प्रतिवादीगण को विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात फसल बोने–जोतने, काटने, लाने–ले जाने में रूकावट मजाहमत नहीं करने के साथ ही वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर वादीगण को बेदखल

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 16:57:40 IST
Reason: SelfAttested

करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने और कृषि भूमि को अकृषि नहीं बनाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रतिवादी मौके पर चालू कदीमी रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज करने व निर्माण करने हेतु स्वतंत्र हैं।

यह डिक्री आज दिनांक 29.09.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गयी एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी की गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 16:57:40 IST
Reason: SelfAttested